निर्णय बईजलास अजय सिंह राठौड़ आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

मि0न0 66 / प्रा0पत्र / 22 तारीख दायरा 06.10.2022

उनवान प्रा0पत्र

राज0 सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी झालावाड़ प्रार्थी

बनाम

श्री नानूराम पुत्र गोपाल लोधा

नि0 घाटोली एन एच 52 अकलेरा भोपाल रोड़, अप्रार्थी

प्रा0अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत जब्त 14 अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर तथा गैस रिफलिंग में काम ली जाने वाली 01 मोटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः— पेरोकार रसद

—ः निर्णय :— दिनांकः 06.03.2024

यह प्रा0पत्र प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद कार्यालय झालावड़ के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत पेश किया गया है। प्रा0पत्र मेंमों में निवेदन किया है कि दिनांकः 21.09.2022 को जिला रसद अधिकारी एवं प्रर्वतन अधिकारी मौका स्थल पर पहुंचे जंहा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग एवं अवैध रूप से भण्डारण किया जाना प्रतीत होना पाया गया। मौके पर अप्रार्थी नानूराम पुत्र गोपाल लोधा नि0 घाटोली उपस्थित मिले। वक्त जांच तलाशी लेने पर 14 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर 10 बीपीसीएल एवं 04 एचपीसीएल कम्पनी के तथा गैस भरने मे काम आने वाली 01 मोटर का भण्डारण होना पाया गया। जब्त 14 सिलेण्डर में से 10 बीपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डर व 01 मोटर को मेसर्स जय मिनेष गैस एजेन्सी आसलपुर के उपस्थित मेनेजर श्री बनवारी आत्मज नंदराम की एवं 04 एचपीसीएल गेस सिलेण्डर मेसर्स एचपी गैस ऐजेंसी अकलेरा के मेनेजर श्री जीतमल आत्मज प्रभुलाल की सुपुर्दगी में दिये गये। फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौके पर अलग से बनाया गया। अनुदानित घरेलू गैस का अवैध उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जप्तशुदा उक्त सामग्री को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया अप्रार्थी की ओर वकील श्री रामबिलास राठोर द्वारा दिनांकः 10. 11.2022 वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत कर अंकन किया कि अप्रार्थी के यहां से जप्त गैस सिलेण्डर अप्रार्थी की एनएच 12 ग्र्रम घाटोली में स्थित दुकान पर परिचित लोगों ने रिफिलिंग हेतु रखे थे क्योंकि गैस वालों की गाड़ी उनके घर तक नहीं पहुंच पाती है जिससे व्यक्ति जिनके सिलेण्डर होते है वे मजदूर कर लोटने पर उन्हे अपनी सुविधा से दुकान से उठा लेते है तथा गैस भरने के काम में आने वाली मोटर से अप्रार्थी का कोई संबंध नहीं है और ना ही उक्त मोटर अप्रार्थी के स्वामित्व की है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही से मुक्त कर जो सिलेण्डर जब्त किये गये हैं वापस दिलवाने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
झालावाड़

बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी दौराने बहन उपस्थित नहीं होने से उनका पक्ष नहीं सुना जा सका। पेरोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रवर्तन स्टाफ घरेलू गैस सिलेंडरों व अन्य सामग्री के अवैध व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिये जांच हेतु मौका स्थल पर पंहुचे। वक्त जांच तलाशी लेने पर 14 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर 10 बीपीसीएल एवं 04 एचपीसीएल कम्पनी के तथा गैस रिफलिंग में काम ली जाने वाली 01 मोटर का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर का अवैध व्यवसायिक उपयोग करके LPG(REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी),4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत अभिग्रहित सामान को राजसात किया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा अप्रार्थी के यहां की गई कार्यवाही के दौरान तलाशी लेने पर 14 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर 10 बीपीसीएल एवं 04 एचपीसीएल कम्पनी के तथा गैस भरने वाली 01 मोटर का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया, जबकि घरेलु गैस सिलेण्डर घरेलू उपभोक्ताओं के उपयोग के लिये है, दौराने तलाशी गैस सिलेण्डर के साथ गैस रिफलिंग वाली मोटर का मिलना यह जाहिर करता है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध व्यवसायिक उपयोग करता है। अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेज के 14 घरेलू गैस सिलेण्डर व गैस रिफलिंग वाली मोटर को रखना घरेलू गैस सिलण्डर का अवैध रूप से दुरूपयोग करने की श्रेणी में आता है। इस प्रकार यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से गैस सिलेण्डर से रिफलिंग का कार्य किया जाता है। अप्रार्थी का यह कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1)(सी) का स्पष्ट उल्लघंन है। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावजी साक्ष्य मान्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 14 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर 10 बीपीसीएल एवं 04 एचपीसीएल कम्पनी के तथा गैस भरने में काम ली जाने वाली 01 मोटर को राजसात किया जाता है, साथ ही राजसात किये गये गैस सिलेण्डरों को संबंधित तेल/गैस कम्पनी को लोटाये जाने तथा इनको नये जारी होने वाले गैस कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को जारी कर इससे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराये जाने का आदेश दिया जाता है। जब्त मोटर का विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार निस्तारण किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 06.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़